

मेसर्स के. पी. मोजिका

बनाम

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और अन्य।

(2017 की सिविल अपील सं. 3548)

09 जनवरी 2024

[अभय एस. ओका \* और राजेश बिंदल, न्यायमूर्तिगण]

विचारार्थ विवाद्यक

अपीलों के एक समूह में, निर्धारितीगण ने, एक संविदा के तहत तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) को विभिन्न श्रेणियों के मोटर वाहन, जैसे ट्रक, ट्रेलर, टैंकर, बस, स्क्रेपिंग विंच चासी और क्रेन प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। अन्य मामलों में जहां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने अपने पेट्रोलियम उत्पादों के परिदान हेतु टैंक ट्रक उपलब्ध कराने के लिए परिवहकों के साथ करार किए हैं, क्या मोटर वाहन/क्रेन को भाड़े पर लेकर किसी भी माल के उपयोग के अधिकार का अंतरण किया गया है। यदि माल के उपयोग के अधिकार का अंतरण होता है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 29क(घ) के संदर्भ में विक्रय के समतुल्य होगा। क्या संचयवहार सेवा के समतुल्य होगा, जिससे सेवा कर का संदाय करने हेतु दायित्व आकर्षित होगा।

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भारत का संविधान - अनुच्छेद 366 के खंड 29क का उपखंड(घ) - असम सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1993 - असम मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 - वित्त अधिनियम (16.05.2008 के प्रभाव से प्रवृत्त) - धारा 65 (105)(ययययत्र) - संपूर्ण संविवाद इस प्रश्न के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या इन अपीलों की विषय वस्तु करारों से परिलक्षित संव्यवहार भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 29क के उपखंड (घ) के अर्थ के भीतर एक विक्रय के समतुल्य है और, इसके परिणामस्वरूप, क्या यह वैट अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (43) के खंड (iv) के अर्थ के भीतर एक "विक्रय" है:

अभिनिर्धारित: संविदा की शर्तों का एक साथ पठन करने पर, यह स्पष्ट है कि संविदा ओएनजीसी को क्रेन की सेवा प्रदान करने के लिए है - कारण यह है कि अंतरिती (ओएनजीसी) से ठेकेदार द्वारा प्रदाय की गई क्रेन का उपयोग करने के लिए विधिक परिणामों का सामना करने की अपेक्षा नहीं है - अतः, भारत संचार निगम लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य [2006] 2 एससीआर 823 मामले में डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, न्या. द्वारा पैराग्राफ 97 के खंड (ग) और (घ) में निर्धारित परीक्षण पूर्ण नहीं होते हैं।

---

\* लेखक

-इतना ही नहीं, खंडों का एक साथ पठन करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदार द्वारा ओएनजीसी को प्रदान की गई क्रेनों का उपयोग केवल एक अनुज्ञेय उपयोग की रीति से होगा - हालांकि क्रेन का उपयोग ओएनजीसी द्वारा सुझाए गए कार्य को पूरा

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

करने हेतु किया जाता है, क्रेनों पर संपूर्ण नियंत्रण ठेकेदार द्वारा प्रतिधारित किया जाता है, क्योंकि ठेकेदार ही है जो क्रेनों के प्रचालन हेतु कर्मिंदल उपलब्ध कराता है, ठेकेदार ही है जिसे ईंधन, तेल आदि और ठेकेदार के उपस्कर, ठेकेदार के स्टाफ, किसी तीसरे पक्षकार और ओएनजीसी के स्टाफ और संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के रखरखाव के लिए संदाय करना पड़ता है - अतः, क्रेन प्रदान करने की संविदा के संबंध में, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि क्रेन का उपयोग करने के अधिकार का अंतरण किया गया था, सही नहीं था - इसी प्रकार अन्य मामलों में, यह स्पष्ट है कि किसी टैंक ट्रक विशेष का उपयोग आईओसीएल के पक्षकार में अंतरित करने का कोई आशय नहीं है - संविदा माल के परिवहन के लिए टैंक ट्रक प्रदान करने की है - जब एक बार ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए टैंक ट्रकों में माल की लदाई हो जाती है, तो उनके सुरक्षित अभिवहन की संपूर्ण जिम्मेदारी, जिसमें संदूषण से बचाव, परिदान और गंतव्य पर उतराई शामिल है, ठेकेदार की होती है। इस मामले में परीक्षण (ग) संतोषजनक नहीं है - अतः, यह निष्कर्ष निकालना असंभव है कि आईओसीएल के पक्षकार में टैंक ट्रकों का उपयोग करने के अधिकार का अंतरण है - प्रस्तुत अपीलों में, डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, न्या. द्वारा निर्धारित सभी पांच परीक्षण पूर्ण नहीं होते हैं - जब पर्याप्त रूप से नियंत्रण ठेकेदार के पास रहता है और उपयोगकर्ता को नहीं सौंपा जाता है, तो वाहनों, क्रेन, टैंकर आदि का उपयोग करने के अधिकार का कोई अंतरण नहीं होता है - जब भी उस व्यक्ति में निहित माल पर ऐसा कोई नियंत्रण नहीं होता है जिसे प्रदाय किया जाता है, तो संव्यवहार उक्त प्रावधान के प्रवृत्त होने के पश्चात् वित्त अधिनियम की धारा 65 (105)(ययययत्र) के अर्थ के भीतर सेवा प्रदान करने का होगा - निर्धारितीगण द्वारा दायर सभी अपीलें अनुज्ञात की जाती हैं। [पैरा 35, 40 तथा 42]

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भारत का संविधान - अनुच्छेद 366 के खंड 29क का उपखंड (घ) - यह अवधारित करने के लिए कौन से परीक्षण लागू किए गए हैं कि क्या संव्यवहार में भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 29क के उपखंड (घ) के तहत किसी माल के उपयोग के अधिकार का अंतरण अंतर्वलित है।

अभिनिर्धारित: भारत संचार निगम लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [2006] 2 एस. सी. आर. 823 मामले में डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, न्या. द्वारा अपनाया सम्मत दृष्टिकोण और विनिश्चय के पैराग्राफ 97 में निर्धारित परीक्षण प्रासंगिक हैं। [पैरा 31]

### निर्दिष्ट निर्णय

*भारत संचार निगम लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [2006] 2 एससीआर 823:(2006) 3 एससीसी 1; ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य [2019] 17 एससीआर 856:(2020) 3 एससीसी 354; आयुक्त सेवा कर, अहमदाबाद बनाम अडानी गैस लिमिटेड 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 682; आयुक्त, सेवा कर दिल्ली बनाम क्विक हील टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एससी 976- अवलंबित।*

*विक्रय कर अधिकारी, पीलीभीत बनाम बुद्ध प्रकाश जय प्रकाश [1955] एससीआर 243: एआईआर 1954 एससी 459, मद्रास राज्य बनाम गैनन डंकरली एवं कंपनी [1959] एससीआर 379: एआईआर 1958 एससी 560; मेसर्स के. एल. जौहर एवं कंपनी बनाम उप वाणिज्यिक कर अधिकारी, कोयम्बटूर III [1965] एस. सी. आर. 112: एआईआर 1965एससी 1082; वी. मयप्पन बनाम आयुक्त, वाणिज्यिक कर,*

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

राजस्व बोर्ड, मद्रास और एक अन्य (1967) 20 एसटीसी 115 (मद्रास); आंध्रप्रदेश राज्य और एक अन्य बनाम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (2002) 3 एससीसी 314; आहूजा गुड्स एजेंसी और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। 1997 एससीसी ऑनलाइन ऑल 1381; इमेजिक क्रिएटिव (प्रा.) लिमिटेड बनाम आयुक्त, वाणिज्यिक कर और अन्य [2008] 1 एससीआर 457:(2008) 2 एससीसी 614; 20<sup>th</sup> सेंचुरी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य [2000] 1 पूरक. एससीआर 120: (2000) 6 एससीसी 12; अग्रवाल ब्रदर्स बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य (1999) 9 एससीसी 182 - संदर्भित।

### अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान – अनुच्छेद 366 के खंड 29क का उपखंड (घ)। असम सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1993; असम मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003; वित्त अधिनियम (16.05.2008 के प्रभाव से प्रवृत्त) - धारा 65(105)(ययययत्र)।

### संकेतशब्दसूची

किसी भी उद्देश्य के लिए किसी माल के उपयोग करने के अधिकार का अंतरण; विक्रय; सेवा; विक्रय कर; सेवा कर; कराधेय सेवा; माल के विक्रय या क्रय पर कर; मोटर वाहनों को भाड़े पर लेना; क्रेन भाड़े पर लेने हेतु करार; ट्रक भाड़े पर लेने हेतु करार; बस भाड़े पर लेने हेतु करार; वाहनों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन हेतु करार; ट्रेलर भाड़े पर लेने हेतु करार; पानी के टैंकर भाड़े पर लेने हेतु करार; स्क्रेपिंग विंच चासी को भाड़े पर लेने हेतु करार।

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

## उद्धृत

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3548/2017।

रिट अपील सं. 140 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 25.11.2019 से उद्धृत

सहित

सिविल अपील संख्याएं - 4658, 4657, 383/2013, 2017/3580, 8714,8705, 8710, 9291, 8715/2012, 3579, 3578/2017, 4659, 4661, 4660/2013 3573, 3575 3574, 3577, 3576/2013, 4662/2013, 3549, 3557/2017, 7954, 8693/2012, 3554, 3556, 3553, 3555, 3565, 3551, 3552, 3558, 3559, 3566-3569, 3572, 3561, 3562, 3564, 3563, 3570, 3571, 3560 और 3550/2017।

## पक्षकारों की ओर से

एन. वेंकटरमण, एसजी, नलिन कोहली, वरिष्ठ एएजी, एस. गणेश, अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्तागण, ऋषिकेश बरुआ, कुमार क्षितिज, सुश्री अपूर्वा जैन, उदय गुप्ता, सुश्री शिवानी एम. लाल, सुश्री सनम सिंह, हीरेन दासान, एम. के. त्रिपाठी, हरीश दासान, राजीव रंजन, सुश्री योगमाया एम. जी., राजीव कुमार गुप्ता, आर. सी. कौशिक, विजयनंद त्रिपाठी, विवासवान गौतम, राज बहादुर यादव, मोहन पांडे, अनिल श्रीवास्तव, अनंग भट्टाचार्य, मनीष गोस्वामी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, सुमीत लाल, जगजीत सिंह छाबड़ा, मुकेश कुमार मारोरिया, मोहम्मद.अखिल, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री निशा बागची, शुवोदीप राय, आस्तिक ढींगरा, सुश्री निमिषा मेनन, अंकित राय,

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सार्थक शर्मा, राज बहादुर यादव, श्रीमती निशा बागची, शशांक बाजपेयी, श्रीमती रुचि कोहली, प्रशांत सिंह II, सबरीश सुब्रमण्यम, बी. कृष्ण प्रसाद, सुश्री रुचि कोहली, मैसर्स कॉरपोरेट लॉ ग्रुप, सुश्री संगीता भारती, सुश्री संगीता भारती, आशीष कुमार, सुश्री प्रेरणा मेहता, सौरव अग्रवाल, रवींद्र रायज़ादा, सुश्री. अनमोल ढिंढसा, कमलेंद्र मिश्रा, अधिवक्तागण। पक्षकारों की ओर से उपस्थित।

## उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

### निर्णय

अभय एस. ओक न्या.

### तथ्यगत पहलू

1. अपीलों का यह समूह क्रमशः असम सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1993 (संक्षिप्तता हेतु, 'विक्रय कर अधिनियम') और असम मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (संक्षिप्तता हेतु, 'वैट अधिनियम'), के तहत कर का संदाय करने के दायित्व से संबंधित है। अपीलों के इस समूह में, कुछ मामलों में, निर्धारितीगण, संविदा के तहत, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (संक्षिप्तता हेतु, 'ओएनजीसी') को विभिन्न श्रेणियों के मोटर वाहन, जैसे ट्रक, ट्रेलर, टैंकर, बसें, स्क्रेपिंग विंच चासी और क्रेन प्रदान करने के लिए सहमत हुए हैं। ऐसे अन्य मामले भी हैं जहां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (संक्षिप्तता हेतु, 'आईओसीएल') ने अपने पेट्रोलियम उत्पादों को परिदत्त करने हेतु टैंक ट्रक प्रदान करने के लिए परिवाहकों के साथ करार किए हैं।

2. इन मामलों को एक साथ रखा गया है क्योंकि विधि और तथ्य के समान प्रश्न उद्भूत होते हैं। मोटे तौर पर, प्रश्न यह है कि क्या इन मोटर वाहनों/क्रेनों को भाड़े

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पर लेने से किसी भी माल का उपयोग करने के अधिकार का अंतरण होता है। यदि माल के उपयोग के अधिकार का अंतरण होता है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 29क (घ) के संदर्भ में विक्रय के समतुल्य होगा। संक्षेप में, यदि संव्यवहार खंड 29क (घ) में 'विक्रय' की परिभाषा में नहीं आते हैं, तो वे विक्रय कर अधिनियम या वैट अधिनियम के तहत कर आकृष्ट नहीं कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, इस बारे में अन्य प्रश्न होंगे कि क्या संव्यवहार सेवा के समतुल्य होगा, जिससे सेवा कर का संदाय करने का दायित्व आकर्षित होगा।

3. हम सुविधा हेतु 2017 की सिविल अपील सं. 3548 और 2013 की सिविल अपील सं. 383 के तथ्यों को निर्दिष्ट कर रहे हैं। 2017 की सिविल अपील सं. 3548 में चुनौती की विषयवस्तु रहा निर्णय दिनांकित 25 नवंबर 2009 मुख्य निर्णय है। अधिकांश अन्य आक्षेपित निर्णय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त निर्णयों पर अवलंबित हैं। 24 जुलाई 2012, 25 नवंबर 2009, 9 दिसंबर 2009, 29 जून 2010 और 25 अगस्त 2010 को भिन्न-भिन्न आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित हुए। 2017 की सिविल अपील सं. 3548 गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा एक रिट अपील में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांकित 25 नवंबर 2009 से उद्धृत होती है। इस मामले में, 13 अप्रैल 2006 का करार है, जिसके द्वारा अपीलार्थी ओएनजीसी को अपने विभिन्न प्रचालनों को पूर्ण करने हेतु कर्मिदल आदि के साथ ट्रक-आलंबित (माउंटेड) हाइड्रोलिक क्रेन की सेवाएं प्रदान करने पर सहमत हुआ। अपीलार्थी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में ओ. एन. जी. सी. द्वारा वैट अधिनियम के तहत स्रोत पर कर की कटौती करने की धमकी पर अपीलार्थी को उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा। समरूप याचिकाएं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर की गई थीं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

याचिकाओं को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि संविदा माल के उपयोग के अधिकार के अंतरण हेतु थी और इसलिए, वैट अधिनियम और विक्रय कर अधिनियम के तहत एक दायित्व है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी समरूप रिट याचिकाओं का निपटान आदेश दिनांकित 19 दिसम्बर 2006 के अनुसार आदेश पारित करते हुए किया। अतः, अपीलार्थियों ने खंडपीठ के समक्ष रिट अपीलों को दायर किया। खंड पीठ ने आक्षेपित निर्णय दिनांकित 25 नवंबर 2009 के द्वारा, रिट अपीलों को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि प्रश्नगत करारों के तहत, संविदा में शामिल माल के उपयोग के अधिकार का अंतरण किया गया था।

2017 की सिविल अपील सं. 3548 और अन्य संबंधित मामलों में अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का निवेदन

4. 2017 की सिविल अपील सं. 3548 और अन्य संबंधित मामलों, अर्थात् सिविल अपील सं. 7954/2012, सिविल अपील सं. 8715/2012, सिविल अपील सं. 9291/2012, सिविल अपील सं. 3549/2017, सिविल अपील सं. 3550/2017, सिविल अपील सं. 3551/2017, सिविल अपील सं. 3552/2017, सिविल अपील सं. 3553/2017, सिविल अपील सं. 3555/2017, सिविल अपील सं. 3558/2017, सिविल अपील सं. 3559/2017, सिविल अपील सं. 3564/2017, सिविल अपील सं. 3565/2017, सिविल अपील संख्याएं 3566-3569/2017, सिविल अपील सं. 3570/2017, और सिविल अपील सं. 3571/2017 में, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया कि माल और विज्ञापनों के विक्रय पर कर भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची-II में प्रविष्टि 48 द्वारा शामिल किए गए थे। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, सूची-I की प्रविष्टि 92क भारत सरकार को माल के विक्रय पर कर अधिरोपित करने की

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

शक्ति प्रदत्त करती है। सूची-II की प्रविष्टि 54 के तहत राज्य में समाचार-पत्रों के अलावा अन्य माल के विक्रय या क्रय कर उदग्रहण करने के संबंध में समरूप विधायी शक्तियां निहित थीं, जो सूची-I की प्रविष्टि 92-क के उपबंधों के अधीन थीं। सूची-II की प्रविष्टि 54 द्वारा शामिल किए गए माल के विक्रय की व्याख्या पर, विद्वान अधिवक्ता ने *विक्रय कर अधिकारी, पीलीभीत बनाम बुद्ध प्रकाश जय प्रकाश<sup>1</sup>, मद्रास राज्य बनाम गैन्नन डंकरली एवं कंपनी<sup>2</sup> और मेसर्स के. एल. जौहर एवं कंपनी बनाम उप वाणिज्यिक कर अधिकारी कोयम्बटूर III<sup>3</sup>* के मामलों में, इस न्यायालय के कुछ विनिश्चयों का अवलंब लिया। विद्वान अधिवक्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 में 46वें संशोधन अधिनियम 1982 के माध्यम से जोड़े गए खंड 29क के उपबंधों की ओर भी संकेत किया। उन्होंने बताया कि अपीलों के प्रस्तुत समूह में, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 29क के उप-खंड(घ) से सरोकार रखते हैं, जिसमें यह प्रावधान है कि माल के विक्रय और क्रय पर कर, वह कर है जो नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल का किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अधिकार के (चाहे वह विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) अंतरण पर है, शामिल है।

उन्होंने बताया कि भारत के संविधान में इस संशोधन द्वारा, विधिक कल्पना के माध्यम से, संव्यवहार के छह मामलों को समझा गया विक्रय (डीमंड सेल) के रूप में माना गया था। अतः, जहां भी 'माल के विक्रय और क्रय पर कर' वाक्यांश दिखाई देता हो, वहां 'समझा गया विक्रय' को प्रत्येक प्रावधान में पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने उन विनिश्चयों की ओर इंगित किया जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 29क के उप-खंड(क) से (च) के अंतर्गत आने वाली आकस्मिकताओं को शामिल करते हैं। जहाँ तक उपखंड (घ) का संबंध है, उन्होंने, *ए. वी. मयप्पन बनाम*

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वाणिज्यिक कर आयुक्त, राजस्व बोर्ड, मद्रास और एक अन्य<sup>4</sup> मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया।

5. विक्रय कर अधिनियम का रुख करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया कि इसे वैट अधिनियम की धारा 107 के आधार पर निरसित कर दिया गया था। उन्होंने दलील दी कि वैट अधिनियम भारत के संविधान के 46वें संशोधन के अनुरूप है। उन्होंने निर्णयों और आदेशों दिनांकित 3 नवंबर 2014 और 29 फरवरी 2016 में लिए गए त्रिपुरा उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की ओर भी संकेत किया, जिसमें उक्त उच्च न्यायालय, समरूप संविदा का विश्लेषण करने के पश्चात्, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उक्त संव्यवहार में उपयोग के अधिकार का कोई अंतरण अंतर्वलित नहीं था।

6. उन्होंने इंगित किया कि प्रश्न यह होगा कि क्या इन अपीलों के संव्यवहार की विषयवस्तु 1 मई 2005 से प्रभावी वैट अधिनियम की धारा 2(43)(iv) के अर्थ के भीतर समझा गया विक्रय गठित करती है। उन्होंने दलील दी कि यदि वैट अधिनियम के उक्त प्रावधान लागू नहीं होते हैं, तो संव्यवहार वित्त अधिनियम, 1994 (संक्षिप्तता हेतु, 'वित्त अधिनियम') की धारा 65(105) (यययययय) के तहत सेवा कर के अधीन होंगे। तथ्यों पर, उन्होंने इंगित किया कि सिविल अपील संख्याओं 3566-3569/2017 के करार की विषयवस्तुओं में विनिर्दिष्टतया यह प्रावधान किया गया था कि प्रश्नगत संव्यवहार वाहन/उपस्कर के उपयोग के अधिकार के पट्टे या अंतरण की रीति से नहीं होगा।

7. उन्होंने, भारत संचार निगम लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य मामले में<sup>5</sup> मुख्यतः माननीय डॉ. न्यायमूर्ति ए. आर. लक्ष्मणन के सम्मत दृष्टिकोण का अवलंब लिया। उन्होंने उक्त विनिश्चय के पैराग्राफ 97 में यथाअभिनिर्धारित का अवलंब लिया।

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उन्होंने दलील दी कि इसमें निर्धारित पाँच परीक्षाओं को *पंचरत्न* परीक्षण कहा जा सकता है। उनका कहना है कि संविदा की स्पष्ट शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए क्रेन और अन्य वाहनों का पूर्ण और अनन्य अख्तियार किसी भी समय ओ. एन. जी. सी. को नहीं दिया गया था। उन्होंने इंगित किया कि प्रस्तुत मामले में, क्रेन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों ने ठेकेदार के लिए कार्य किया न कि ओएनजीसी के लिए। ठेकेदार क्रेन पर कार्य करने वालों को नियुक्त करता था न कि ओएनजीसी। वैकल्पिक व्यवस्था सहित मरम्मत और अनुरक्षण की जिम्मेदारी ठेकेदार की है, ओएनजीसी की नहीं। ठेकेदार अपने खर्च पर क्रेन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए आश्रय, भोजन, रात्रिविश्राम और अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करने हेतु बाध्य है। उन्होंने बताया कि करार की शर्तों के अनुसार, ठेकेदार और ओएनजीसी क्रेनों को सुरक्षित पार्किंग स्थल उपलब्ध कराने हेतु जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि यदि क्रेन ओएनजीसी के स्थल पर भी खड़ी की जाती हैं, तो भी इसका जोखिम ठेकेदार का ही होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ठेकेदार प्रतिकर के दावे हेतु दायी है, जो क्रेन के उपयोग के कारण किसी तीसरे पक्षकार को क्षति पहुँचने के कारण हो सकता है। ठेकेदार पर क्रेनों द्वारा ओएनजीसी के उपस्कर/संपत्ति/कार्मिकों को कारित होने वाली किसी दुर्घटना से उद्भूत होने वाले विधि परिणाम के लिए ओएनजीसी को पूर्ण क्षतिपूर्ति करने का दायित्व है। उन्होंने दलील दी कि मामले के तथ्यों में, पंचरत्न परीक्षण के उपखंड (ग), (घ) एवं (ङ) पूर्ण नहीं हुए हैं।

8. उन्होंने *आंध्रप्रदेश राज्य और एक अन्य बनाम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड* मामले में इस न्यायालय के एक विनिश्चय का अवलंब लिया। उन्होंने, *ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी बनाम कर्नाटक राज्य तथा अन्य* मामले में के विनिश्चय की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए दलील दी कि इस न्यायालय के समक्ष

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मामले के तथ्यों में, 'टग' जो संविदा की विषय वस्तु थी, को संविदा की अवधि के दौरान बंदरगाह को दिन के चौबीसों घंटे उपलब्ध कराया गया था। संविदा में प्रावधान किया गया था कि संविदा अवधि के दौरान, टग सभी प्रयोजनार्थ बंदरगाह के पास उपलब्ध होगा और प्रत्येक संबंध में उसके नियंत्रणधीन होगा। उन्होंने सेवा कर आयुक्त, बनाम क्विक हील टेक्नोलॉजीज लिमिटेड<sup>8</sup> में इस न्यायालय के विनिश्चय को भी निर्दिष्ट किया। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि संव्यवहार सॉफ्टवेयर विक्रय का था, और एक बार यह स्वीकृत हो जाने के पश्चात् कि कॉम्पैक्ट डिस्क में डाला गया सॉफ्टवेयर एक माल है, संव्यवहार में सेवा का कोई तत्व नहीं हो सकता है।

उन्होंने दलील दी कि उनके द्वारा उठाए गए प्रतिविरोधों को स्वीकारते हुए, ठेकेदारों के खाते के निपटारे हेतु पारिणामिक निर्देश जारी किए जाने होंगे।

2013 की सिविल अपील सं. 383 में किया गया निवेदन

9. 2013 की सिविल अपील संख्या 383 में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी विस्तृत दलीलें दी हैं। उन्होंने अपीलार्थियों-इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई. ओ. सी. एल.) और निर्दिष्ट दरों पर पेट्रोलियम उत्पादों को परिदत्त करने हेतु टैंक ट्रकों का प्रचालन करने वाले परिववाहकों के बीच निष्पादित मानक संविदा का अवलंब लिया। उन्होंने बताया कि कर अधीक्षक ने अपीलार्थियों (आईओसीएल) को इस आधार पर ठेकेदारों को भाड़ा शुल्क का संदाय करते समय विक्रय कर में कटौती करने के लिए नोटिस जारी किया कि टैंक ट्रकों को भाड़े पर लेने से माल के उपयोग के अधिकार का अंतरण होता है और इसलिए, संव्यवहार भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 29क के अंतर्गत विक्रय का है। अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह विचार रखा

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कि संव्यवहार माल के उपयोग के अधिकार का अंतरण गठित नहीं करते हैं। खंड पीठ ने, प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट अपीलों में हस्तक्षेप किया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि 'किसी भी माल के उपयोग के अधिकार का अंतरण' अभिव्यक्ति इस न्यायालय के अनेक विनिश्चयों की विषयवस्तु रही है। उन्होंने आग्रह किया कि माल के अधिकार क्षेत्र को सौंपे बिना एक संविदा मात्र के निष्पादन के परिणामस्वरूप किसी भी माल के उपयोग के अधिकार का अंतरण नहीं होता है, और इसलिए, यह एक 'समझा गया विक्रय' नहीं होगा। उन्होंने, *बीएसएनएल* और *राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड* के मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों का भी अवलंब लिया। उन्होंने दलील दी कि इस न्यायालय द्वारा निरंतर लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि माल के उपयोग के अधिकार का अंतरण हो सकता है, बशर्ते उपयोग की सीमित अवधि के लिए माल के कब्जे से अलगाव हो। उक्त अवधि के दौरान, माल का प्रभावी नियंत्रण अवश्यमेव ही अंतरित किया जाना चाहिए। उन्होंने, करारों के अनेक खंडों का अवलंब लेते हुए दलील दी कि संविदा के तहत टैंक ट्रकों का उपयोग करने के अधिकार का कोई अंतरण नहीं है। उन्होंने, इंगित किया कि वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण परिवाहक के पास रहता है और इसे कभी अपीलार्थियों को अंतरित नहीं किया जाता है। *आहूजा गुड्स एजेंसी और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य* मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए उन्होंने दलील दी कि एक निरंतर न्यायिक राय है कि वाहनों को भाड़े पर लेना प्रभावी नियंत्रण और कब्जे के अंतरण के समतुल्य नहीं है।

10. उन्होंने प्रस्तुत किया कि कोई संव्यवहार या तो सेवा या विक्रय कर के अधीन हो सकता है, और उक्त संव्यवहार दोनों कराधायक संविधियों के अधीन नहीं हो

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सकता है। उन्होंने *इमेजिक क्रिएटिव (प्रा.) लिमिटेड बनाम आयुक्त, वाणिज्यिक कर और अन्य*<sup>10</sup> मामले में इस न्यायालय के एक विनिश्चय का अवलंब लिया।

11. अतः, उन्होंने *गैन्न डंकरली एवं कंपनी*<sup>2</sup> मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया। उन्होंने बताया कि विधि आयोग ने अनुच्छेद 366 के तहत खंड 29क को सम्मिलित करके भारत के संविधान में संशोधन का सुझाव क्यों दिया। उन्होंने दलील दी कि अनुच्छेद 366 के खंड 29क के तहत, यह प्रावधान किया गया है कि माल के अंतरण, परिदान या प्रदाय को अंतरण, परिदान या प्रदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा उस माल का विक्रय समझा जाएगा। उन्होंने *बी. एस. एन. एल.*<sup>5</sup> मामले में विनिश्चय का अवलंब लिया। उन्होंने दलील दी कि संविदा किसी एक श्रेणी में आती है अथवा नहीं, यह संविदा के सार को ज्ञात करके विनिश्चित किया जाना है। उन्होंने प्रभावी नियंत्रण के मुद्दे से निपटने के लिए *राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड*<sup>6</sup> मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय की ओर भी संकेत किया। उन्होंने *बी. एस. एन. एल.*<sup>5</sup> मामले में माननीय डॉ. न्यायमूर्ति ए. आर. लक्ष्मणन की राय का भी मुख्यतः अवलंब लिया।

12. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपीलार्थी द्वारा निष्पादित करार के अनेक खंडों का अवलंब लिया। उन्होंने दलील दी कि 2003 के पश्चात्, संव्यवहार सेवा कर हेतु दायी था।

13. 2017 की सिविल अपील संख्याओं 8714, 8710, 8705, 8693, और 3573-3579 में अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि ओएनजीसी को एससीबी ट्रेलर प्रदान करने की संविदा सेवा की संविदा थी न कि प्रश्नगत संविदा की शर्तों को देखते हुए माल का उपयोग करने के अधिकार के अंतरण की। उन्होंने संविदा के अनेक खंडों की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया। अतः, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि संविदा की विनिर्दिष्ट शर्तें इंगित करती हैं कि यह एक सेवा की संविदा थी न कि विक्रय की।

असम राज्य द्वारा किया गया निवेदन

14. असम राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने *20<sup>th</sup> सेंचुरी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य* <sup>11</sup> मामले में इस न्यायालय के एक विनिश्चय का अवलंब लिया। उन्होंने दलील दी कि ओएनजीसी द्वारा की गई संविदाओं का समग्र रूप से पठन किया जाना होगा। उन्होंने *राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड* <sup>6</sup> मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय में पाए गए प्रभावी नियंत्रण के परीक्षण का अवलंब लिया।

उन्होंने आग्रह किया कि कराधान के उद्देश्यों के लिए "माल के उपयोग के अधिकार के अंतरण" को "विक्रय और सेवा" में विभाजित करना विधिपूर्ण नहीं है। उन्होंने बी. एस. एन. एल. <sup>5</sup> मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया। उनकी दलील है कि क्रेनों को भाड़े पर रखने की संविदा में शामिल संव्यवहार में पूर्वकल्पित है कि क्रेनों के उपयोग के अधिकार का अंतरण है। अतः, स्टाफ उपलब्ध कराने, अनुरक्षण, आदि के प्रावधान अप्रासंगिक हैं। उन्होंने आग्रह किया कि अंतरण को प्रभावी करने हेतु उस माल का वास्तविक परिदान आवश्यक नहीं है, जो परिदान योग्य हो और वास्तव में किसी प्रक्रम पर परिदत्त हो चुका हो। उन्होंने दलील दी कि यदि माननीय डॉ. न्यायमूर्ति ए. आर. लक्ष्मणन द्वारा *बी. एस. एन. एल.* <sup>5</sup> मामले में निर्धारित किए गए परीक्षणों को लागू किया जाता है, तो यह स्थापित होगा कि जो अंतरित किया गया था वह माल का उपयोग करने का अधिकार था। उन्होंने दलील दी कि जहां तक अपीलों के इस समूह की सभी संविदाओं की विषयवस्तु जैसे कि क्रेनों, पानी के टैंकरों और ट्रेलरों को भाड़े पर लेने की संविदाओं का संबंध है,

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रदायकर्ताओं ने संविदाओं के अस्तित्व के दौरान माल पर अनन्य नियंत्रण और अख्तियार को भाड़े पर लेने वाले को अंतरित कर दिया है।

15. *गैन्न डंकरली और कंपनी*<sup>2</sup> मामले में, इस न्यायालय ने दोहराया है कि सम्मिश्र संविदाओं के मामले में, राज्यों के पास विक्रय और सेवा घटकों को अलग करने और केवल विक्रय पर कर अधिरोपित करने की शक्ति नहीं थी। विद्वान अधिवक्ता ने संविधान (46वां संशोधन) विधेयक, 1981 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने उसमें वर्णित उद्देश्यों और कारणों के विवरण की ओर संकेत किया। उन्होंने दलील दी कि प्रस्तुत मामलों में संविदाएं स्पष्टतः प्रदर्शित करती हैं कि संविदा अवधि के दौरान, क्रेनों, ट्रकों और ट्रेलरों पर पूर्ण नियंत्रण और आधिपत्य भाड़े पर लेने वाले को दिया जाता है। यह अप्रासंगिक है कि संविदा अवधि के पश्चात् क्रेन, ट्रक आदि ठेकेदार के पास वापस आ जाते हैं। उन्होंने दलील दी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 29क के उप-खंड (घ) के तहत 'समझा गया विक्रय' की अवधारणा तब भी प्रवर्तित होती है, जब वाहनों के परिदान के अनुगमन के पश्चात् भी इसके स्वामित्व का विधिक अंतरण न हुआ हो। उन्होंने इंगित किया कि समझा गया विक्रय कोई माल का विक्रय नहीं है, बल्कि माल का उपयोग करने का अधिकार है। भले ही माल का विक्रय अधिनियम के अनुसार क्रेनों, टैंकरों या ट्रेलरों का वास्तव में कोई विक्रय नहीं हुआ हो, यह एक समझा गया विक्रय है, क्योंकि संविदा की शर्तों का समग्रतः पठन करने पर ज्ञात होता है कि पक्षकारों की ओर से उक्त माल के उपयोग के अधिकार को अंतरित करने का आशय था।

उन्होंने बताया कि इस न्यायालय ने *अग्रवाल ब्रदर्स बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य*<sup>12</sup> मामले में, दोहराया कि प्रावधान माल के उपयोग के अधिकार के अंतरण

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हेतु हैं न कि माल के। उन्होंने दलील दी कि इस मामले में प्रभावी नियंत्रण का परीक्षण पूर्ण है।

16. वित्त अधिनियम की धारा 65(105)(ययययज) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि उक्त प्रावधान उन संव्यवहारों को अपवर्जित रखते हैं जिनमें कब्जे और प्रभावी नियंत्रण का अंतरण होता है।

17. विद्वान अधिवक्ता ने 2017 की सिविल अपील सं. 3548 की संविदा की विषयवस्तु में विभिन्न खंडों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। विद्वान अधिवक्ता ने, *क्विक हील टेक्नोलॉजीज लिमिटेड*<sup>8</sup> मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय के पैराग्राफ 51(iv) में अभिनिर्धारित के अनुसार अवलंब लेते हुए, दलील दी कि जब हम प्रभावी नियंत्रण की बात करते हैं, तो इसका अर्थ भौतिक नियंत्रण नहीं है। उन्होंने दोहराया कि ट्रेलरों, ट्रकों और क्रेनों के भौतिक कब्जे की वापसी की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

### भारत संघ का निवेदन

18. भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महासॉलिसिटर ने प्रतिवाद किया कि अपीलों के इस समूह के संव्यवहारों की विषय-वस्तु अनिवार्यतः सेवा प्रदान करने की प्रकृति की है, तद्द्वारा सेवा कर आकर्षित करती है। उन्होंने दलील दी कि वैट अधिनियम और विक्रय कर अधिनियम लागू नहीं होंगे और संव्यवहार सेवा कर आकर्षित करेंगे। अतः, निवेदन यह है कि किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

### निवेदनों की विचारणा

19. हमने न्यायालय के समक्ष संयाचित किए गए निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची-II की

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रविष्टि 48 में "माल के विक्रय और विज्ञापन पर कर" का प्रावधान किया गया है। *गैन्न डंकरली एवं कंपनी*<sup>2</sup> मामले में, जो एक ऐतिहासिक निर्णय है, इस न्यायालय ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 48 और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 54 की व्याख्या पर विचार किया, जिसमें "माल के विक्रय पर कर" का प्रावधान था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "माल का विक्रय" अभिव्यक्ति का सुमान्यता प्राप्त विधिक अर्थ है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि "माल का विक्रय" शब्द का वही अर्थ दिया जाना चाहिए जो माल का विक्रय अधिनियम में यथापरिभाषित हो। *के.एल. जौहर और कंपनी बनाम उप वाणिज्यिक कर अधिकारी, कोयंबटूर* मामले में भी समान विचार दोहराया गया था। इस प्रकार, राज्य विधानमंडल को माल के विक्रय पर कर उद्ग्रहण करने के अधिकार से सशक्त किया गया था बशर्ते कि विक्रय, माल का विक्रय अधिनियम के अर्थ के भीतर हो। माल के विक्रय का एक आवश्यक घटक विक्रेता से क्रेता को माल के विक्रय की विषयवस्तु में संपत्ति का अंतरण है। ऐसे विक्रय का आवश्यक घटक माल का कब्जा सौंपना और विक्रेता को माल में संपत्ति अंतरित करना है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 92क के तहत, केंद्रीय विधानमंडल भी समाचार पत्रों के अलावा अन्य माल के विक्रय और क्रय पर कर उद्ग्रहण करने के अधिकार से सशक्त है, जहां ऐसा विक्रय या क्रय अंतर-राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है।

20. तत्पश्चात्, भारत के संविधान में 46वां संशोधन किया गया। उक्त संशोधन द्वारा, खंड 29क को 2 फरवरी 1983 से अनुच्छेद 366 में जोड़ा गया। खंड 29क इस प्रकार है:

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“ (29क) "माल के क्रय या विक्रय पर कर" के अंतर्गत

—

(क) वह कर है जो नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल में संपत्ति के ऐसे अंतरण पर है जो किसी संविदा के अनुसरण में न करके अन्यथा किया गया है ;

(ख) वह कर है जो माल में संपत्ति के (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) ऐसे अंतरण पर है जो किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित है ;

(ग) वह कर है जो अवक्रय या किस्तों में संदाय की पद्धति से माल के परिदान पर है ;

(घ) वह कर है जो नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल का किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अधिकार के (चाहे वह विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) अंतरण पर है ;

(ङ) वह कर है जो नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल के प्रदाय पर है जो किसी अनिगमित संगम या व्यक्ति-निकाय द्वारा अपने किसी सदस्य को किया गया है;

(च) वह कर है, जो ऐसे माल के, जो खाद्य या मानव उपभोग के लिए कोई अन्य पदार्थ या कोई पेय है (चाहे

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वह मादक हो या नहीं) ऐसे प्रदाय पर है, जो किसी सेवा के रूप में या सेवा के भाग के रूप में या किसी भी अन्य रीति से किया गया है और ऐसा प्रदाय या सेवा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की गई है,

और माल के ऐसे अंतरण, परिदान या प्रदाय के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा, जो ऐसा अंतरण, परिदान या प्रदाय कर रहा है, उस माल का विक्रय है और उस व्यक्ति द्वारा, जिसको ऐसा अंतरण, परिदान या प्रदाय किया जाता है, उस माल का क्रय है।"

(रेखांकित किया गया)

इस मामले में, हम खंड 29क के उपखंड (घ) से सरोकार रखते हैं। उपखंड (घ) अनिवार्यतः "माल के विक्रय या क्रय पर कर" को परिभाषित करता है। उपखंड (घ) में यह प्रावधान है कि माल के विक्रय या क्रय पर कर में किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी माल का उपयोग करने के अधिकार के अंतरण पर कर शामिल है। हमें अनुच्छेद 366 के खंड 29क के उपखंड (घ) के आलोक में वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करनी होगी। संशोधन 2 फरवरी 1983 को प्रवृत्त हुआ।

21. खंड 29क के उपखंड (घ) की व्याख्या करने से पूर्व, विक्रय कर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक है। उक्त अधिनियम में, "विक्रय" की परिभाषा से किसी भी व्यक्ति द्वारा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के रूप में माल में संपत्ति का अंतरण अपेक्षित था। वैट अधिनियम 28 अप्रैल 2005 से

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

लागू हुआ। वैट अधिनियम ने विक्रय कर अधिनियम को निरसित कर दिया। वैट अधिनियम भारत के संविधान के 46वें संशोधन, विशिष्टतः अनुच्छेद 366 के खंड 29क के अनुरूप है। वैट अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (43) में "विक्रय" की परिभाषा सुविस्तृत है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 29क के अनुसार है। वैट अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (43) के खंड (iv) में "विक्रय" की एक समावेशी परिभाषा अंतर्विष्ट है, जिसमें "नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी भी उद्देश्य (चाहे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) के लिए किसी भी माल का उपयोग करने के अधिकार का अंतरण शामिल है।"

22. अपीलों के प्रस्तुत समूह में, मोटे तौर पर, हम निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों पर विचार कर रहे हैं:

- क. क्रेन भाड़े पर लेने हेतु करार;
- ख. ट्रक भाड़े पर लेने हेतु करार;
- ग. बस भाड़े पर लेने हेतु करार;
- घ. वाहनों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन हेतु करार;
- ङ. ट्रेलर भाड़े पर लेने हेतु करार;
- च. पानी के टैंकर भाड़े पर लेने हेतु करार; और
- छ. स्क्रेपिंग विंच चासी को भाड़े पर लेने हेतु करार।

23. 2017 की सिविल अपील सं. 3548 में चुनौती की विषयवस्तु रहा आक्षेपित निर्णय और आदेश 20 मामलों के समूह का विनिश्चय करता है, जिसमें ओएनजीसी

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को क्रेन उलब्ध कराने/भाड़े पर लेने तथा जल टैंकरों और ट्रेलरों से संबंधित करार शामिल थे। उक्त निर्णय निर्धारिती के विरुद्ध था।

24. 2013 की सिविल अपील सं. 383 वाहनों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन हेतु परिवहन अभिकरणों और अपीलार्थी-आईओसीएल के बीच संविदा से उद्भूत होती है। आक्षेपित निर्णय और आदेश 24 जुलाई 2012 का है। 2017 की सिविल अपील सं. 3548 निर्धारिती द्वारा दायर की गई है। 2013 की सिविल अपील सं. 383 के साथ भी यही स्थिति है। 2017 की सिविल अपील सं. 3580 भारत संघ द्वारा दायर की गई है। निर्धारिती द्वारा 2013 की सिविल अपील सं. 4657 को 24 जुलाई 2012 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती देने के लिए दायर किया जाता है। उक्त निर्णय द्वारा, पुनः, गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा मामलों के एक समूह का विनिश्चय किया गया। यहां तक कि निर्धारिती के विरुद्ध उक्त मामलों का विनिश्चयन उस विनिश्चय के आधार पर किया गया था, जो 2017 की सिविल अपील सं. 3548 में चुनौती की विषयवस्तु है।

25. 2017 की सिविल अपील सं. 3580, उस निर्णय के विरुद्ध भारत संघ द्वारा दायर क्रॉस-अपील की प्रकृति की है, जो 2013 की सिविल अपील 4657 में चुनौती की विषयवस्तु है। यह ट्रेलरों के प्रदाय हेतु एक संविदा का मामला था। इस मामले में, भारत संघ द्वारा किया गया प्रतिविरोध यह है कि संव्यवहार वैट अधिनियम के अर्थ के भीतर विक्रय के समतुल्य नहीं है और करार सेवा प्रदान करने का है।

26. पूर्ण संविवाद इस प्रश्न के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या इन अपीलों की विषय वस्तु करारों से परिलक्षित संव्यवहार भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 29क के उपखंड (घ) के अर्थ के भीतर एक विक्रय के समतुल्य है और परिणामस्वरूप, क्या यह वैट अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (43) के खंड (iv) के अर्थ के

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भीतर "विक्रय" है। विक्रय कर अधिनियम के तहत धारा 2 की उपधारा (33) में "विक्रय" की परिभाषा में माल में संपत्ति के अंतरण की आवश्यकता को सम्मिलित किया गया है।

27. अब, हम अनुच्छेद 366 के खंड 29क के उपखंड (घ) की व्याख्या पर चलते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, राज्यों को सूची-II की प्रविष्टि 54 के अनुसार माल के विक्रय पर कर अधिरोपित करने के संबंध में विधि अधिनियमित करने की विधायी सक्षमता थी। *गैन्न डंकरली और कंपनी* <sup>2</sup> मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय के पश्चात्, अनेक विनिश्चय किए गए हैं जिनमें यह विचार अपनाया गया था कि भले ही ऐसे संव्यवहार थे जो विक्रय से सदृश थे, किन्तु उस पर कर नहीं उद्गृहीत किया जा सकता था क्योंकि माल का विक्रय अधिनियम के अर्थ के भीतर माल का कोई विक्रय नहीं था। सूची-II की प्रविष्टि 54 के अंतर्गत अनुध्यात माल के विक्रय को निरंतर माल का विक्रय अधिनियम के अनुसार विक्रय के रूप में व्याख्यायित किया गया।

28. अनुच्छेद 366 का खंड 29क 2 फरवरी 1983 को अंतःस्थापित किया गया, जिससे "समझा गया विक्रय" की अवधारणा पुरःस्थापित हुई। हम खंड 29क के उपखंड (घ) से सरोकार रखते हैं, जिसे हमने पहले ही उत्कथित किया है। जैसा कि पहले नोट किया गया है, माल का विक्रय अधिनियम के तहत माल के विक्रय के लागू होने के लिए शर्त यह है कि माल के कब्जे के अंतरण के अलावा, माल में संपत्ति का अंतरण अवश्यमेव ही क्रेता को होना चाहिए। हालांकि, खंड 29क का उपखंड (घ) क्रेता को माल में संपत्ति के अंतरण को निर्दिष्ट नहीं करता है, बल्कि खंड 29क के उपखंड (घ) में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी माल का उपयोग करने के अधिकार के अंतरण को निर्दिष्ट करता है। किसी भी माल के

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपयोग के अधिकार का अंतरण किसी भी उद्देश्य के लिए (चाहे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए हो सकता है। केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति को स्वामी के कुछ माल का उपयोग करना अनुज्ञात है, किसी भी माल के उपयोग के अधिकार का अंतरण नहीं हो जाता। संव्यवहार या तो माल का उपयोग करने के अधिकार के अंतरण का हो सकता है या माल का उपयोग करने के अधिकार के अंतरण के बिना माल का उपयोग करने की अनुज्ञा मात्र प्रदान करने का हो सकता है।

29. इस न्यायालय ने विभिन्न विनिश्चयों में खंड 29क के उपखंड (घ) की व्याख्या की है। इस पहलू पर पहला महत्वपूर्ण विनिश्चय *20<sup>th</sup> सेंचुरी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड* <sup>11</sup> मामले में संविधान पीठ का विनिश्चय है। यह एक ऐसा मामला था जहां अपीलार्थी ने पट्टेदार के साथ एक मास्टर-लीज करार किया था। पट्टेदार एक पक्षकार था जिसकी आकांक्षा भाड़े पर उपयोग हेतु उपस्कर लेने की थी। करार के तहत, अपीलार्थी ने मास्टर-लीज करार की अनुसूची में सूचीबद्ध विभिन्न मशीनरी/उपस्कर देने के लिए सहमत व्यक्त की। मास्टर-लीज करार में यह प्रावधान था कि अपीलार्थी पट्टेदार द्वारा किए गए अनुरोध पर अलग-अलग उपस्कर के लिए आदेश देंगे, और पट्टे पर दिए जाने वाले उपस्करों को संबंधित विनिर्माता या प्रदायकर्ता द्वारा पट्टे के करार में विनिर्दिष्ट स्थान पर प्रेषित किया जाएगा। पट्टेदार के बताने पर, अपीलार्थी अलग-अलग माल या उपस्करों के प्रदाय हेतु प्रदायकर्ताओं या विनिर्माताओं को क्रय आदेश दिया करता था। उपस्कर के परिदान और उपयोग के पश्चात्, पट्टेदार पट्टे पर दिए गए उपस्कर की पावती को स्वीकार करते हुए पूरक पट्टे की अनुसूचियाँ निष्पादित करता था। ऐसे पूरक पट्टा करार का उपयोग मास्टर-लीज करार के अभिन्न अंग को रूप देते थे। संविवाद इसलिए उद्भूत हुआ

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

क्योंकि कुछ राज्यों ने केवल इसलिए कर उद्ग्रहीत करना प्रारंभ कर दिया क्योंकि मुख्य संविदा (मास्टर कॉन्ट्रैक्ट) को निष्पादित करते समय माल उनके राज्यों में अवस्थित पाया गया था। जिन राज्यों में माल का परिदान हुआ, उन्होंने उक्त माल पर कर उद्ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। विशिष्टतः, विभिन्न राज्यों के विधान की विधिमान्यता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि माल के उपयोग के अधिकार के अंतरण का एक संव्यवहार विभिन्न राज्यों में कर के अधीन था। मामले के तथ्यों में, संविधान पीठ द्वारा विचार किया गया मुद्दा था "संविधान के अनुच्छेद 366 (29-क)(घ) के तहत माल के उपयोग के अधिकार के अंतरण पर कराधेय घटना की स्थिति कहाँ है।" उपर्युक्त विनिश्चय के अनुच्छेद 27 में, संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि खंड 29क(घ) के अनुसार कर का उद्ग्रहण माल के उपयोग पर नहीं है, बल्कि माल के उपयोग के अधिकार के अंतरण पर है। दूसरे शब्दों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि माल के उपयोग का अधिकार केवल माल के उपयोग के अधिकार के अंतरण के कारण प्रोद्भूत होता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अंतरण किसी भी माल का उपयोग करने के अधिकार के लिए अपरिहार्य है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि माल उपलब्ध है, तो माल के उपयोग के अधिकार का अंतरण तब होता है जब माल के लिए संविदा निष्पादित की जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि माल उपलब्ध है, इस बात को दृष्टि में लाए बिना कि चाहे माल का परिदान किया गया हो और पक्षकारों के बीच लिखित करार हुआ हो, माल का उपयोग करने के अधिकार को अंतरित करने के लिए एक संविदा को निष्पादित किया जाना, ऐसे समझे गए विक्रय पर कराधेय घटना होगी। हालांकि, जब कोई लिखित करार नहीं हो, किन्तु माल का उपयोग करने के अधिकार का मौखिक या विवक्षित अंतरण हो, तो यह माल के परिदान से प्रभावित हो सकता है। केवल ऐसे मामलों में माल का परिदान कराधेय घटना होगी। इस संदर्भ में, अनुच्छेद 28 में,

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि यह नहीं कहा जा सकता है कि जब तक माल का परिदान नहीं किया जाता है, तब तक माल के उपयोग के अधिकार का पूर्ण अंतरण नहीं होगा। जब माल अस्तित्व में होता है, तो माल के उपयोग के अधिकार के अंतरण के लिए कराधेय घटना तब घटित होती है जब पट्टाकर्ता और पट्टेदार के बीच संविदा निष्पादित की जाती है, और ऐसे समझे गए विक्रय की स्थिति वह होगी जहां उसके संबंध में करार निष्पादित किया जाता है।

30. *बीएसएनएल*<sup>5</sup> मामले में इस न्यायालय का एक अन्य विनिश्चय है। इस मामले का विनिश्चय इस न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने किया था। इस मामले में विनिश्चित किया गया प्रश्न उस संव्यवहार की प्रकृति के बारे में था जिसके द्वारा मोबाइल फोन कनेक्शन प्रदान किए गए थे। प्रश्न यह था कि क्या यह उस माल का विक्रय था जो विक्रय कर को आकर्षित करेगा या ऐसी सेवा थी जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I की प्रविष्टि 97 के तहत सेवा कर को आकर्षित करेगी। अभिदाता को टेलीफोन सेवा प्रदाता द्वारा टेलीफोन कनेक्शन तक पहुंच प्रदान करके किसी भी माल का उपयोग करने के अधिकार का कोई अंतरण है या नहीं, इस मुद्दे सहित अनेक मुद्दे थे। एक अन्य मुद्दा यह था कि क्या टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का संव्यवहार एक विक्रय था, जो एक अंतर-राज्यिक विक्रय है। पृथक लेकिन सम्मत निर्णय दिए गए थे। न्यायमूर्ति रूमा पाल ने अपने और न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी के लिए प्रमुख निर्णय लिखा। इस विनिश्चय में, *गैन्न डंकरली एवं कंपनी*<sup>2</sup> मामले में विनिश्चय का संदर्भ दिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 366 के खंड 29क को अंतर्विष्ट किए जाने के पश्चात् भी "माल" शब्द का अर्थ नहीं बदला गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि खंड

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

29क के अंतर्विष्ट होने के उपरांत भी, माल के विक्रय के अवयवों की वही परिभाषा बनी हुई है जिस पर *गैन्न डंकरली एवं कंपनी* <sup>2</sup> मामले में चर्चा की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि जो संव्यवहार उत्परिवर्तित (म्यूटेंट) विक्रय हैं, वे अनुच्छेद 366 के खंड 29क तक सीमित हैं। हालांकि, सभी संव्यवहार विक्रय कर के उदग्रहण के लिए विक्रय कर अधिनियम के अर्थ के भीतर विक्रय के रूप में अवश्यमेव ही अर्हता प्राप्त होने चाहिए। अनुच्छेद 74 में, *20<sup>th</sup> सेंचुरी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड* <sup>11</sup> मामले के विनिश्चय की व्याख्या की गई थी। *बी. एस. एन. एल.* <sup>5</sup> मामले के निर्णय के पैराग्राफ 74 और 75 में न्यायमूर्ति रूमा पाल ने इस प्रकार समुक्ति की:-

“74. न्यायालय ने माल के उपयोग के अधिकार के अंतरण की स्थिति अवधारित करने में, यह नहीं कहा कि उपयोग के अधिकार के अंतरण को पूर्ण करने के उद्देश्यों के लिए माल का परिदान अनावश्यक था। उत्कथित लेखांश में बल दिए गए भाग इस बात के साक्ष्य देते हैं कि जब माल के उपयोग के अधिकार का अंतरण होता है तो माल अवश्यमेव ही उपलब्ध होना चाहिए। न्यायालय ने यह भी स्वीकारा कि मौखिक संविदाओं के लिए अंतरण की स्थिति वह हो सकती है जहां माल परिदत्त किया जाता हो (निर्णय का पैरा 26 देखें)।

75. हमारी राय में, अनुच्छेद 366 (29-क)(घ) के तहत अधिकार का मर्म यह है कि यह माल के उपयोगकर्ता से संबंधित है। यह हो सकता है कि माल के उपयोग के अधिकार के अंतरण को प्रभावित करने के लिए माल का वास्तविक परिदान आवश्यक न हो, किन्तु माल अंतरण के समय अवश्यमेव ही उपलब्ध होना चाहिए, परिदेय होना चाहिए और किसी प्रक्रम पर परिदत्त होना चाहिए। उपयोग के अधिकार को अंतरित करने के लिए किसी भी करार के निष्पादन के समय यह मानकर चला

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जाता है कि माल उपलब्ध है और परिदेय है। यदि माल, या जिसका दावा प्रत्यर्थियों द्वारा माल होने के लिए किया जाता है, सेवा प्रदाताओं द्वारा अभिदाताओं को बिल्कुल भी परिदेय नहीं है, तो उस माल के उपयोग के अधिकार का प्रश्न नहीं उठेगा।"

(रेखांकित किया गया)

इस प्रकार, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 366 के खंड 29क के उपखंड (घ) को आकर्षित करने के लिए, माल अंतरण के समय अवश्यमेव ही उपलब्ध होना चाहिए, परिदेय होना चाहिए और किसी प्रक्रम पर परिदत्त होना चाहिए। यदि माल सेवा प्रदाताओं द्वारा अभिदाताओं को बिल्कुल भी परिदेय नहीं है, तो उस माल के उपयोग के अधिकार का प्रश्न नहीं उठेगा।"

31. *बी. एस. एन. एल.* <sup>5</sup> मामले में जो बात प्रासंगिक है वह डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, न्या. द्वारा अपनाया गया सम्मत दृष्टिकोण है। पैराग्राफ 97 में, डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, न्या. ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

“97. माल के उपयोग के अधिकार के अंतरण के लिए किसी संव्यवहार का गठन करने हेतु, संव्यवहार में अवश्यमेव ही निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:

(क) परिदान हेतु सामान अवश्य उपलब्ध होना चाहिए;

(ख) माल की पहचान के संबंध में एक ही बात पर एक ही अर्थ में मतैक्य होना चाहिए;

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(ग) अंतरिती को माल का उपयोग करने का विधिक अधिकार होना चाहिए- फलस्वरूप ऐसे उपयोग के सभी विधिक परिणाम, जिनमें उसके लिए अपेक्षित कोई भी अनुज्ञा या लाइसेंस शामिल हैं, अंतरिती को उपलब्ध होने चाहिए;

(घ) उस अवधि के लिए जिसके दौरान अंतरिती को ऐसा विधिक अधिकार है, यह अंतरक के लिए अपवर्जन होना चाहिए - यह संविधि की सरल भाषा का आवश्यक सहवर्ती है अर्थात् "उपयोग के अधिकार का अंतरण" न कि केवल माल को उपयोग करने का लाइसेंस;

(ङ) जिस अवधि के लिए माल का अंतरण किया जाना है, उस अवधि के दौरान माल का उपयोग करने के अधिकार को अंतरित करने के पश्चात्, स्वामी पुनः वही अधिकार अन्यो को अंतरित नहीं कर सकता है।”

(रेखांकित किया गया)

32. तत्पश्चात् से ही डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, न्या. द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का इस न्यायालय द्वारा विभिन्न विनिश्चयों में निरंतर अनुगमन किया गया है। *ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड*<sup>7</sup>, में डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन न्या. द्वारा पैराग्राफ 97 में अभिव्यक्त मत को अनुमोदन के साथ उत्कथित किया गया। इस न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने आयुक्त सेवा कर, अहमदाबाद बनाम अडानी गैस लिमिटेड<sup>14</sup> में अनुमोदन के साथ डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, न्या. द्वारा अभिव्यक्त मत वाले पैराग्राफ 97 को उत्कथित किया। वास्तव में, पैराग्राफ 97 में, पीठ ने समुक्ति की कि *बी. एस. एन. एल.*<sup>5</sup> के मामले में विनिश्चय के पैराग्राफ 97 में निर्धारित परीक्षणों को यह अवधारित करने के लिए लागू किया गया है कि क्या

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संव्यवहार में भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 29क के उपखंड (घ) के तहत किसी भी माल का उपयोग करने के अधिकार का अंतरण अंतर्वलित है।

33. *क्विक हील टेक्नोलॉजीज लिमिटेड*<sup>8</sup> मामले में, पैराग्राफ 46 में, डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, न्या. द्वारा निर्धारित परीक्षणों को अनुमोदन के साथ उत्कथित किया गया है। इस न्यायालय ने उक्त विनिश्चय के पैराग्राफ 53 में, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

“53. निम्नलिखित सिद्धांतों का सारांश प्रासंगिक सीमा तक दिया जा सकता है:

53.1. संविधान (छियालिसवाँ संशोधन) अधिनियम का आशय "माल के विक्रय या क्रय पर कर" के दायरे को विस्तारित करते हुए विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को शामिल करना है ताकि इसके दायरे में अनुच्छेद 366 के खंड (29-क) के उपखंड (क) से (च) में निर्दिष्ट किसी भी संव्यवहार के तहत होने वाले माल का अंतरण, परिदान या प्रदाय शामिल हो सके। कार्य संविदा, अवक्रय संविदा, मानव उपभोग हेतु भोजन का प्रदाय, संगम और क्लबों द्वारा माल का प्रदाय, किसी भी माल के उपयोग के अधिकार के अंतरण के लिए संविदा ऐसी कुछ आर्थिक गतिविधियाँ हैं।

53.2. माल के उपयोग के अधिकार का अंतरण, माल के अंतरण से सुभिन्न, एक अन्य आर्थिक गतिविधि है जो राज्य कर हेतु पात्र है।

53.3. साधारण विक्रय और समझा गया विक्रय के बीच सुस्पष्ट अंतर हैं।

53.4. संविधान के अनुच्छेद 366 (29-क)(घ) से उपयोग के लिए माल के परिदान पर कर नहीं, बल्कि माल का उपयोग करने के अधिकार के अंतरण पर कर विवक्षित है। खंड (29-क) के उपखंड (घ) में अनुध्यात माल के उपयोग के अधिकार के

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अंतरण को उपनिधान की उस श्रेणी के समतुल्य नहीं माना जा सकता है, जहां माल को उपनिहिती के पास उसके द्वारा भाड़े पर उपयोग के लिए छोड़ दिया जाता हो।

53.5. अनुच्छेद 366 (29-क)(घ) के मामले में माल को अंतरिती के पास छोड़ना अपेक्षित नहीं है। केवल इतना ही अपेक्षित है कि माल के उपयोग के अधिकार का अंतरण हो। ऐसी दशा में कराधेय घटना इस बात को दृष्टि में लाए बिना कि उपयोग हेतु माल कब अथवा क्या परिदत्त हुआ घटित होती है। अपेक्षित यह है कि माल अस्तित्व में हो ताकि उसका उपयोग किया जा सके।

53.6. अनुच्छेद 366 (29-क)(घ) के तहत कर का उद्ग्रहण माल के उपयोग पर नहीं है। यह उस माल के उपयोग के अधिकार के अंतरण पर है जो केवल अधिकार के अंतरण के कारण प्रोद्भूत होता है। दूसरे शब्दों में, माल के उपयोग का अधिकार केवल माल के उपयोग के ऐसे अधिकार के अंतरण पर ही उद्भूत होता है।

53.7. किसी भी माल का उपयोग करने के अधिकार के लिए अधिकार का अंतरण *अपरिहार्य* है और ऐसा अंतरण तब होता है जब संविदा निष्पादित की जाती है जिसके तहत अधिकार पट्टेदार में निहित होता है।

53.8. पक्षकारों के बीच करार या संविदा, संविदा की प्रकृति को अवधारित करेंगे। संव्यवहार की प्रकृति अवधारित करने के लिए ऐसे करार का समग्र रूप से पठन करना होगा। यदि माल की पहचान के बारे में एक ही बात पर एक ही अर्थ में मतैक्य प्रदर्शित होता है तो संव्यवहार कर हेतु अभियाचनीय है।

53.9. माल के उपयोग के अधिकार के अंतरण द्वारा समझा गया विक्रय की अवस्थिति वह स्थान है जहाँ माल के उपयोग के प्रासंगिक अधिकार का अंतरण किया जाता

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है। वह स्थान जहाँ माल स्थित है या जहाँ माल परिदत्त किया जाता है या उपयोग किया जाता है, प्रासंगिक नहीं है।"

इस प्रकार, अपीलों के इस समूह में अंतर्वलित संविवाद का विनिश्चय करने के लिए, पक्षकारों के बीच संविदा को *बीएसएनएल*<sup>5</sup> मामले में डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, न्या. द्वारा निर्धारित पांच परीक्षणों की कसौटी पर परखना होगा।

इस प्रकार, संविदा अनुच्छेद 366 के खंड 29क के उपखंड (घ) द्वारा समाविष्ट की जाएगी, बशर्ते कि निर्धारित सभी पाँच शर्तें पूर्ण होती हों। इस न्यायालय ने उपयोग के अधिकार के अंतरण और केवल माल के उपयोग के लिए लाइसेंस के बीच विभेद किया है। प्रत्येक मामले में जहां माल का स्वामी किसी एक अन्य व्यक्ति को माल का उपयोग करने की अनुज्ञा देता है, संव्यवहार माल के उपयोग के अधिकार के अंतरण का होना आवश्यक नहीं है। यह केवल उस माल का उपयोग करने का लाइसेंस हो सकता है जो उपयोग के अधिकार के अंतरण के समतुल्य नहीं हो सकते हैं।

34. 2017 की सिविल अपील सं. 3548 के आक्षेपित निर्णय में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ इस आधार पर अग्रसरित हुई कि करार के निबंधन और शर्तें, जिनके द्वारा ओएनजीसी को क्रेनों का प्रदाय किया गया था, कमोबेश समान थीं। आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 12 में, खंड पीठ ने पानी के टैंकों और ट्रेलरों के प्रदाय की संविदाओं पर भी विचार किया है। इस प्रकार, जहां तक क्रेनों के प्रदाय का संबंध है, संविदाएं लगभग समान हैं। यह बताया गया है कि सिविल अपील संख्या 3566-3569/2017 में चुनौतीगत संविदा की विषयवस्तु थोड़ी भिन्न है। अतः, दृष्टांतस्वरूप, प्रथमतः, हम 13 अप्रैल 2006 की संविदा के निबंधन एवं शर्तों का उल्लेख कर रहे

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हैं, जो 2017 की सिविल अपील सं.3548 में चुनौती की विषयवस्तु है। उक्त करार के कुछ प्रासंगिक खंड और विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. कार्य/अनुबंध के दायरे के संबंध में खंड 2 इस प्रकार है:

“2. कार्य/संविदा का दायरा:

1. इसमें दिए गए तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार (चालक/प्रचालक/स्लिंगर/खलासी आदि, जैसी भी स्थिति हो) मानवयुक्त क्रेन (दिए जाने वाले वाहन/उपस्कर का प्रकार) सेवाएं या समकक्ष तकनीकी विनिर्देशों वाले और ओएनजीसी को स्वीकार्य वाहन/उपस्कर, आवश्यक आनुषंगिक उपस्करों के साथ, वैध परमिट/लाइसेंस, बीमा आदि के साथ ओएनजीसी द्वारा परामर्शित कर्तव्यों के निष्पादन के लिए पर्याप्त ईंधन, सुअनुरक्षित स्थिति में और अन्य पूर्वापेक्षाओं को पूरा करते हुए, पूर्ण संविदा अवधि के दौरान, नियत समय और स्थान पर उपलब्ध होना चाहिए, न कि ठेकेदार द्वारा ओएनजीसी को वाहन/उपस्कर के उपयोग के लिए पट्टे या अंतरण या अधिकारों के माध्यम से।

2 -----  
”

(रेखांकित किया गया)

इस प्रकार, संविदा में स्वयंमेव ही उपबंधित है कि क्रेन/उपस्कर का उपयोग करने के अधिकार का कोई अंतरण नहीं है;

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ख. अन्य प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

i) क्रेन और अन्य उपस्करों के विनिर्देश खंड 3.1 में दिए गए हैं। खंड 3 में प्रावधान है कि संविदा में क्रेन के अलावा, लदाई और उतराई के लिए आवश्यक संख्या में स्लिंग, हुक, डनेज सामग्री और अन्य सामग्री उपलब्ध होगी। उक्त खंड में विनिर्दिष्ट सामग्री का उल्लेख किया गया है;

ii. हालाँकि खंड 6.2 में दो क्रेनों की पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया गया है, किन्तु यहाँ जो महत्वपूर्ण है वह खंड 5.2 है। इसमें प्रावधान है कि भले ही किसी क्रेन विशेष या उसके दस्तावेजों को ओएनजीसी द्वारा अनुमोदित किया गया हो, जब कोई क्रेन दोषपूर्ण हो, तो ठेकेदार द्वारा प्रतिस्थापन के रूप में समान विनिर्देशों की एक और क्रेन की पेशकश अवश्यमेव ही की जानी चाहिए। इसलिए, संविदा केवल खंड 6.2 में वर्णित दो क्रेन तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि ठेकेदार पर क्रेन को प्रतिस्थापित करने की बाध्यता है।

iii. कार्यचालन स्टाफ, जैसे चालक, क्रेन प्रचालक, रिगर स्लिंगर, खलासी, सफाईकर्मी आदि, जैसा कि खंड 8.17 और 8.18 में विनिर्दिष्टया उल्लिखित है, ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। कर्मियों को अपेक्षित सुरक्षा आनुषंगिक उपस्कर जैसे सुरक्षा जूते, दस्ताने, सुरक्षा हेलमेट आदि के साथ क्रेन प्रचालन करना चाहिए। ठेकेदार इन सुरक्षा उपसाधनों को अपनी लागत पर प्रदान करेगा और इन्हें समय-समय पर उसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

iv. ठेकेदार प्रचालन स्थल के पास कर्मचारियों के आश्रय, भोजन, रात्रिविश्राम और अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था अपनी लागत पर करेगा।

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

v. क्रेन पर कार्य करने का सामान्य समय आधे घंटे के विराम के साथ 7 से 10 घंटे तक होना चाहिए। ये समय परिवर्तन के अधीन होगा। क्रेन के अनुरक्षण हेतु चार दिनों की छुट्टी होगी।

vi ठेकेदार अवश्यमेव ही क्रेन और अन्य मर्दों के संबंध में ईंधन, स्नेहक तेल और अन्य उपभोग्य आदि के लिए पर्याप्त और समुचित व्यवस्था करेगा। ठेकेदार क्रेन की मरम्मत और अनुरक्षण की देखरेख करेगा;

vii. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि क्रेन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके तहत विरचित नियमों और विनियमों की अपेक्षाओं का पालन करें। समरूपतः, कर्मिदल अवश्यमेव ही विधिक रूप से सक्षम होना चाहिए और उसके पास वैध लाइसेंस होने चाहिए।

viii. ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा और संविदारत उपस्कर/संपत्ति/कार्मिक को हुई किसी भी दुर्घटना से उद्भूत किसी भी विधि के तहत किसी भी परिणाम के लिए ओएनजीसी को क्षतिपूर्ति देगा। क्रेन के प्रचालन के कारण किसी तीसरे पक्षकार को होने वाले नुकसान या क्षति के लिए भी ठेकेदार जिम्मेदार होगा। ठेकेदार स्वयं की लागत पर व्यापक बीमा के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करेगा, और ओएनजीसी बीमा हेतु किसी भी राशि को देने के लिए दायी नहीं होगा;

ix. यह ठेकेदार कि जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित स्थानों पर क्रेन पार्किंग की व्यवस्था करे। हालांकि, ठेकेदार अपेक्षित समय अपेक्षित स्थल पर क्रेन उपलब्ध कराने हेतु जिम्मेदार होगा।

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

x. ठेकेदार द्वारा लिया गया बीमा किसी भी तीसरे पक्षकार, ठेकेदार के किसी भी उपस्कर/संपत्ति/कार्मिक और ओएनजीसी की संपत्ति या कार्मिकों को हुए नुकसान के लिए किसी भी प्रकृति के सभी जोखिमों को समाविष्ट करेगा।

xi. ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत स्वयं को पंजीकृत करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी; और

xii. यह उपबंध किया गया है कि किसी विशिष्ट अवधि के लिए क्रेन का उपयोग करने के पश्चात, जैसा कि संविदा में उल्लेख किया गया है, ठेकेदार को ठेकेदार के जोखिम पर ओएनजीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थलों पर क्रेन को पार्क करना होगा।

35. संविदा की उपर्युक्त शर्तों का एकसाथ पठन करने पर, यह स्पष्ट है कि यदि क्रेनों में से कोई ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही थी, तो ठेकेदार के पास क्रेन को प्रतिस्थापित करने का विकल्प था। क्रेन के उपयोग के विधिक परिणामों का ध्यान रखने के लिए केवल ठेकेदार जिम्मेदार है। ठेकेदार को अवश्यमेव ही क्रेन का रखरखाव करना चाहिए, और यह ठेकेदार के लिए है कि वह ईंधन, तेल आदि जैसे उपभोग्य के लिए संदाय करे। यहाँ तक कि अवश्यमेव ही ठेकेदार द्वारा नियत कर्मिंदल के द्वारा क्रेन का संचालन और प्रचालन भी किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, क्रेनों के संबंध में या क्रेनों के उपयोग से संबंधित या इसके परिणामस्वरूप किसी दुर्घटना या घटना की स्थिति में, संपूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा, ओएनजीसी का नहीं। इस प्रकार, संक्षेप में, संविदा ओएनजीसी को क्रेन की सेवा प्रदान करने के लिए है। इसका कारण यह है कि अंतरिती (ओएनजीसी) से ठेकेदार द्वारा प्रदाय की गई क्रेनों का उपयोग करने के लिए विधिक परिणामों का सामना करने की अपेक्षा नहीं है। अतः, डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, न्या. के विनिश्चिय के पैराग्राफ 97 के खंड (ग) और (घ)

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में निर्धारित परीक्षण इस मामले में पूर्ण नहीं हुए हैं। यही नहीं, उपर्युक्त खंडों का एक साथ पठन करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदार द्वारा ओएनजीसी को प्रदान की गई क्रेन का उपयोग केवल एक अनुज्ञेय उपयोग के तौर पर होगा। यद्यपि ओएनजीसी द्वारा सुझाए गए कार्य को पूरा करने के लिए क्रेन का उपयोग किया जाता है, तथापि क्रेन पर संपूर्ण नियंत्रण ठेकेदार के पास रहता है, क्योंकि ठेकेदार ही है जो क्रेनों को प्रचालन हेतु कर्मिंदल को प्रदान करता है, ठेकेदार ही है जिसे ईंधन, तेल आदि और ठेकेदार के उपस्कर, ठेकेदार के स्टाफ, किसी तीसरे पक्षकार और ओएनजीसी के स्टाफ और संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के रखरखाव के लिए संदाय करना पड़ता है। अतः, हम पाते हैं कि क्रेन प्रदान करने की संविदा के संबंध में, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि क्रेन का उपयोग करने के अधिकार का अंतरण किया गया था, सही नहीं था क्योंकि संव्यवहार ऊपर उल्लिखित सभी पांच परीक्षणों को पूरा नहीं करते हैं।

36. हमने सिविल अपील संख्याओं 3566-3569/2017 में चुनौती की विषयवस्तु रही संविदा के निबंधन और शर्तों का भी सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है। संविदा कर्मिंदल के साथ दस ट्रक-माउंटेड ऑल-टेरेन हाइड्रोलिक क्रेनों की सेवाओं को भाड़े पर लेने से संबंधित है। इस मामले में, अन्य संविदाओं की ही भांति, खंड 2 में उपबंधित है कि उपस्करों के प्रदाय पट्टे या अंतरण या उपस्कर का उपयोग करने के अधिकार के माध्यम से नहीं होगी। अन्य सभी खंड व्यावहारिक रूप से समान हैं। इस मामले में भी, जो कारण पहले अभिलिखित किए गए हैं, वे पूर्णरूपेण लागू होंगे। संविदाएं माल के उपयोग के अधिकार को अंतरित करने के लिए ठेकेदार की ओर से आशय को प्रकट नहीं करती हैं।

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

37. अब हम 2013 की सिविल अपील सं. 4657 और 2017 की सिविल अपील सं. 4657 पर आते हैं। इस मामले में, संविदा ओएनजीसी और मेसर्स अली ब्रदर्स के द्वारा और उनके बीच 20 नवंबर 2008 की है। यह संविदा 20-मीटर-टन के ट्रेलर को भाड़े पर लेने के लिए है। उक्त संविदा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. इस संविदा में भी, संपूर्ण जनशक्ति ठेकेदार द्वारा प्रदान की जानी थी;

ख. ठेकेदार से संविदा के तहत कार्य के निष्पादन से कारित या उसके दौरान अथवा उससे उद्भूत होने वाले सभी कार्यों, कार्यवाहियों, दावों, मांगों और दायित्वों से ओएनजीसी को क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता थी।

ग. चालक को तीन वर्ष के अनुभव के साथ वैध पेशेवर ड्राइविंग लाइसेंस धारित नियोक्ता द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए।

घ. ठेकेदार को ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत स्वयं को पंजीकृत करना होगा।

ङ. ट्रेलर एक कैलेंडर मास में 26 दिनों के लिए उपलब्ध होगा। सामान्य कार्य-समय कार्य के 12 घंटे होगा।

च. ठेकेदार ड्यूटी के घंटों के पश्चात् सभी ट्रेलरों को खड़ा करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करेगा।

छ. परिवहन के दौरान ओएनजीसी द्वारा प्रदान की गई सामग्री की हानि के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा। ओएनजीसी की ड्यूटी के दौरान किसी भी दुर्घटना या नुकसान की दशा में, ओएनजीसी द्वारा किसी भी प्रकृति का कोई दायित्व नहीं लिया जाएगा।

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ज. ठेकेदार को सभी जोखिमों और दायित्वों को समाविष्ट करते हुए ट्रेलरों का बीमा कराना होगा, जिसमें असीमित तीसरे-पक्षकार के दावे और कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत किए गए दावे शामिल होंगे।

38. इन खंडों को देखते हुए, स्पष्ट है कि ठेकेदार संविदा अवधि के दौरान ट्रेलरों को पूर्णरूप से नियंत्रित करता है, और इसलिए, पुनः, यह ओएनजीसी को ट्रेलर का उपयोग करने के लिए दिए गए लाइसेंस का मामला है, और ट्रेलर का उपयोग करने का अधिकार ओ. एन. जी. सी. को अंतरित नहीं किया गया है। अतएव, इस मामले में पाँच परीक्षाओं में से परीक्षण (ग) पूर्ण नहीं होता है।

39. अब हम 2013 की सिविल अपील सं. 383 पर आते हैं। इस मामले में, संविदा विनिर्दिष्ट दरों पर पेट्रोलियम उत्पादों के परिदान हेतु टैंक ट्रकों के प्रचालन के लिए थी। संविदा की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत् हैं :

क. ठेकेदार टैंक ट्रकों का प्रचालन करेंगे।

ख. आईओसीएल को संविदा में दिए गए प्रावधानों के अलावा और अधिक संख्या में टैंक ट्रकों की अध्यपेक्षा करने का अधिकार होगा।

ग. आईओसीएल ने संविदा अवधि के दौरान किसी भी न्यूनतम आवर्त की गारंटी नहीं दी, चाहे वह दैनिक, मासिक या वार्षिक हो और इसलिए, ठेकेदार आईओसीएल से उपयुक्त प्रभार या न्यूनतम प्रभार लेने का हकदार नहीं होगा।

घ. चालकों, सफाईकर्मियों के वेतन और अन्य परिलब्धियों, ईंधन और स्नेहक तेल की लागत, टैंक ट्रकों के रखरखाव और मरम्मत, सड़क कर और अन्य करों और बीमा सहित संपूर्ण प्रचालन लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ड. लदाई और उतराई के समय और अभिवहन के दौरान उक्त टैंक ट्रकों के प्रचालन में आग, रिसाव, लापरवाही, विस्फोट, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से आईओसीएल, उसके कर्मचारियों या किसी तीसरे पक्षकार को कारित हुई किसी भी हानि या नुकसान के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

च. आईओसीएल के कार्मिक डिपो में टैंक ट्रकों की लदाई चालक और सफाईकर्मों की सहायता से करेंगे, किन्तु उतराई की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

छ. गंतव्य पर उत्पादों की सही गुणवत्ता और मात्रा देने की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

ज. ठेकेदार टैंक ट्रकों को सेवायोग्य स्थिति में रखेगा। किसी टैंक ट्रक के सेवायोग्य न होने की स्थिति में, ठेकेदार हिस्सेदारी वाले ट्रकों का उपयोग करके ड्रमों में अन्यत्र स्थान पर प्रदाय करने हेतु आबद्ध होगा।

झ. ठेकेदार उत्पाद की अभिरक्षा, इसकी मात्रा और गुणवत्ता के लिए आईओसीएल के प्रति पूर्णरूपेण जिम्मेदार रहेगा।

ञ. यदि ठेकेदार आईओसीएल के डिपो में अपने टैंक ट्रकों को रखने में विफल रहता है, तो बाहर से टैंक ट्रकों को काम पर लगाना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

40. ऊपर उल्लिखित खंडों का एक साथ पठन करने पर, यह स्पष्ट है कि किसी टैंक ट्रक विशेष के उपयोग को आईओसीएल के पक्षकार में अंतरित करने का कोई आशय नहीं है। यह संविदा माल के परिवहन हेतु टैंक ट्रक उपलब्ध कराने की है। जब एक बार ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए टैंक ट्रकों में माल की लदाई हो जाती है, तो उनके सुरक्षित अभिवहन की संपूर्ण जिम्मेदारी, जिसमें संदूषण से बचाव, परिदान और गंतव्य पर उतराई शामिल है, ठेकेदार की होती है। इस मामले में परीक्षण (ग) पूर्ण

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नहीं है। अतः, यह निष्कर्ष निकालना असंभव है कि आईओसीएल के पक्षकार में टैंक ट्रकों का उपयोग करने के अधिकार का अंतरण है। अनिवार्यतः, यह आईओसीएल को टैंक ट्रकों का उपयोग करके माल परिवहन की सेवा प्रदान करने की एक संविदा है। अतः, इस मामले में भी, डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, न्या. द्वारा निर्धारित सभी पाँच परीक्षण पूर्ण नहीं होते हैं।

41. अब, इस प्रक्रम पर, हम वित्त अधिनियम की धारा 65 (105)(ययययज) को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिसे 16 मई 2008 के प्रभाव से प्रवृत्त किया गया था। धारा 65 (105)(ययययज) इस प्रकार है:

“धारा 65।परिभाषाएँ - .....

(1) .....

.....

(105) "कराधेय सेवा" से किसी व्यक्ति द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग हेतु मशीनरी, उपस्कर और साधित्रों सहित मूर्त माल के प्रदाय के संबंध में, ऐसी मशीनरी, उपस्कर और साधित्रों के कब्जे और प्रभावी नियंत्रण के अधिकार को अंतरित किए बिना की गई सेवा अभिप्रेत है।"

(क) .....

.....

इसमें प्रावधान है कि "कराधेय सेवा" से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को उपयोग हेतु मशीनरी, उपस्कर और साधित्रों सहित मूर्त माल के प्रदाय के संबंध में प्रदान की गई कोई सेवा अभिप्रेत है, जिसके लिए ऐसी मशीनरी, उपस्कर और साधित्रों के कब्जे और प्रभावी नियंत्रण का अधिकार अंतरित नहीं किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

42. अनिवार्यतः, उपयोग के अधिकार के अंतरण में न केवल कब्जा अंतर्वलित होगा, जिसे किसी प्रक्रम पर (संविदा के निष्पादन के पश्चात्) प्रदान किया जा सकता है, बल्कि उपयोगकर्ता द्वारा माल का नियंत्रण भी शामिल होगा। जब पर्याप्त रूप से नियंत्रण ठेकेदार के पास रहता है और उपयोगकर्ता को नहीं सौंपा जाता है, तो वाहनों, क्रेन, टैंकर आदि का उपयोग करने के अधिकार का कोई अंतरण नहीं होता है। जब भी उस व्यक्ति में निहित माल पर ऐसा कोई नियंत्रण नहीं होता है जिसे प्रदाय किया जाता है, तो संव्यवहार उक्त प्रावधान के प्रवृत्त होने के पश्चात् वित्त अधिनियम की धारा 65 (105)(ययययज) के अर्थ के भीतर सेवा प्रदान करने का होगा।

### निष्कर्ष

43. निष्कर्ष हेतु, निर्धारितीगण द्वारा दायर की गई सभी अपील अनुज्ञात करनी होंगी।

44. तदनुसार, हम निर्धारितीगण की सभी अपीलों को यह अभिनिर्धारित करते हुए अनुज्ञात करते हैं कि संविदाएं विक्रय कर अधिनियम और वैट अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती हैं, क्योंकि संविदा उस व्यक्ति को उपलब्ध कराए गए माल के उपयोग के अधिकार के अंतरण का उपबंध नहीं करती है जिसे इसका उपयोग करना अनुज्ञात है। भारत संघ द्वारा दायर 2017 की सिविल अपील सं. 3580 का निपटान भारत संघ को विधि के अनुसार सेवा कर की वसूली हेतु कार्यवाही, यदि कोई हो, प्रारंभ करने की स्वतंत्रता के साथ पूर्व के निष्कर्षों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है।

45. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

### अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

शीर्षटिप्पणकार: अंकित ज्ञान

वाद परिणाम: निर्धारितीगण द्वारा दायर  
अपील अनुज्ञात की गई।

परिशिष्ट/Appendix

---

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- 1 ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 459
  - 2 ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 560
  - 3 ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1082
- 

- 4 (1967) 20 एसटीसी 115 (मद्रास)
  - 5 (2006) 3 एससीसी 1
- 

- 6 (2002) 3 एससीसी 314
  - 7 (2020) 3 एससीसी 354
  - 8 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 976
- 

- 9 (1997) 106 एसटीसी 540 = 1997 एससीसी ऑनलाइन ऑल 1381
- 

- 10 (2008) 2 एससीसी 614
  - 11 (2000) 6 एससीसी 12 498
- 

- 12 (1999) 9 एस. सी. सी 182
- 

- 13 एआईआर 1965 एससी 1082
- 

- 14 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 682

#### अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अस्वीकरण:

अनूदित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।